MOST URGENT

**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)**

एफ 27(317) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017–18 जयपुर, दि.03 अक्टूबर, .2019

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
**जिला परिषद् समस्त राजस्थान।**

**विषय :–** निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चिता के क्रम में मौके से प्राप्त सेम्पलों की प्रयोगशाला टेस्टिंग के संबंध में।

**प्रसंग :–** विभागीय पत्र दिनांक 20.07.2017, 05.09.2017 एवं 01.10.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गुणवत्ता नियंत्रण के क्रम में सम्पादित निर्माण कार्यो के मौके से लिए गए सेंम्पलों की परीक्षण/जांच पंचायत समिति/जिला स्तर पर स्थापित गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं से ही करवाये जाने एवं तदनानुसार प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ही कार्य के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत् प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्देशित किया गया है। साथ ही निर्माण कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण के कम में मौके से लिये गये सैम्पलो की निजी संस्थाओं/प्रयोगशालाओं से प्राप्त परीक्षण/जांच रिपोर्ट मान्य नहीं किये जाने बाबत विभागीय पत्र दिनांक 5.9.17 द्वारा निर्देशित किया गया था।

इस कम में यह ध्यान में आया है कि उक्तानुसार पंचायत समिति / जिला स्तर पर गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला उपलब्ध होने के उपरान्त भी कुछ पंचायत समितियों द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण का कार्य निजी परीक्षण/जांच प्रयोगशालाओं से परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण जारी किए जा रहे हैं, जो कि निर्देशानुसार अमान्य है तथा आदेशों की अवहेलना है।

अतः उक्त संबंध में सम्पादित निर्माण कार्यो के मौके से लिए गए सेंम्पलों की निजी प्रयोगशालाओं से कराये गये परीक्षण/जांच रिपोर्ट संबंधी सूचना/विवरण निम्न प्रपत्र में 10 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करे :–

| क.सं. | निजी प्रयोगशालाओ से परीक्षण के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने वाले उत्तरदायी अधिकारी का विवरण | | | निजी प्रयोगशालाओ से परीक्षण के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र समायोजित करने वाले अधिकारी का विवरण | | | कार्य का विवरण | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नाम | पद | पदस्थापन स्थान | नाम | पद | पदस्थापन स्थान | | |
| | | | | | | | | |

उक्त संबंध में पुनः निर्देश है कि विभागीय पत्र दिनांक 1.10.19 द्वारा जारी निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावे।

3/10
**(कैलाश चन्द मीना)**
**विशिष्ट शासन सचिव**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
4. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

**अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)**